उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-13/2024/851/तीस-4-2024-30-4099(099)/229/2022
लखनऊ: दिनांक: 24 जून, 2024

अधिसूचना (शुद्धि-पत्र)

परिवहन अनुभाग-4 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-12/2024/559/तीस-4-2024-30-4099(099)/229/2022, दिनांक 11 जून, 2024 में कतिपय लिपिकीय त्रुटिवश उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 4 के अधीन देय कर संदाय से छूट का प्राविधान छूट गया है। अत: पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 11 जून, 2024 को एतद्द्वारा निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

चूँकि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन, मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण ओर कार्य) नियम, 2021 के अधीन स्थापित किसी रजिस्ट्रीकृत यान सुविधा केन्द्र में स्क्रैप कराये जाने की शर्त पर अधिसूचना संख्या-7/2023/372/तीस-4-2023-30-4099(099)/229/2022, दिनांक 11 मार्च, 2023 में दिये गये अनुसूची में उक्त यान को यथाविनिर्दिष्ट सीमा तक उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन देय कर संदाय से और केन्द्र सरकार द्वारा जारी मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण ओर कार्य) नियम, 2021 के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र में स्क्रैप कराये जाने वाले समस्त प्रकार के गैर परिवहन एवं परिवहन यानों पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन संदेय शास्ति में पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 11 मार्च, 2023 द्वारा छूट प्रदान की गयी थी;

और चूँकि, पूर्वोक्त छूट पूर्वोक्त अधिसूचना के जारी किये जाने के दिनांक से 01 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 10.03.2024 तक प्रभावी थी;

और चूँकि, छूट की पूर्वोक्त अवधि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता अनुभव की जा चुकी है;

अत:, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण ओर कार्य) नियम, 2021 के अधीन स्थापित किसी रजिस्ट्रीकृत यान सुविधा केन्द्र में स्क्रैप कराये जाने की शर्त पर पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 11 मार्च, 2023 में दिये गये अनुसूची में उक्त यान को यथाविनिर्दिष्ट सीमा तक उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन देय कर संदाय से और केन्द्र सरकार द्वारा जारी मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण ओर कार्य) नियम, 2021 के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र में स्क्रैप कराये जाने वाले समस्त प्रकार के गैर परिवहन एवं परिवहन यानों पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन संदेय शास्ति में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करती हैं;

परन्तु यह कि पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 11 मार्च, 2023 में उक्त तालिका में दिये गये यानों पर शास्ति की छूट देय सम्पूर्ण कर पर अनुमन्य होगी।

(2) पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 11 मार्च, 2023 की सारणी में उक्त छूट, यान स्वामी को यान पर छूट के पश्चात संदेय एकमुश्त अवशेष धनराशि जमा करने पर ही उपलब्ध होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 11 मार्च, 2023 की सारणी में उक्त छूट, दिनांक 11 मार्च, 2024 से छ: माह की अवधि अर्थात् दिनांक 10 सितम्बर, 2024 तक के लिए प्रभावी होगी।

2- इस प्रकार, पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 11 जून, 2024 उपरोक्त सीमा तक एतद्द्वारा संशोधित की जाती है।

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

संख्या-13/2024/851(1)/तीस-4-2024-30-4099(099)/229/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
3. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यू नल उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-13/2024/851(2)/तीस-4-2024-30-4099(099)/229/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या-13/2024/851(3)/तीस-4-2024-30-4099(099)/229/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 24 जून, 2024 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड(ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4
No.13/2024/851/XXX-4-2024-30-4099(099)/229/2022
Lucknow: Dated 24 June, 2024

Notification (Corrigendum)

The provision of exemption from the payment of tax due under section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) has been left in notification no.12/2024/559/XXX-4-2024-30-4099(099)/229/2022, dated 11 June, 2024 issued by transport section-4 due to some clerical error. Therefore, the aforesaid notification dated 11 June, 2024 is hereby substituted as follows:-

WHEREAS under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997), the payment of tax due under section 4 of the said act upto the limit as specified in the schedule given in notification no. 7/2023/372/XXX-4-2023-30-4099(099)/ 229/2022 dated 11 March, 2023 on the condition of getting the said vehicle scrapped in a Registered Vehicle Scrapping Facility Centre established under the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 and the penalty payable under section 9 of the said Act, on all types of non-transport and transport vehicles to be scrapped at the Registered Vehicle Scrapping Facility Centre established under the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 issued by the Central Government, were exempted vide aforesaid notification dated 11 March, 2023.

AND WHEREAS the aforesaid exemption was effective for a period of one year from the date of issuing the aforesaid notification i.e. till 10 March, 2024;

AND WHEREAS there has been felt a need to extend the aforesaid period of exemption;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 3 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to provide exemption from the payment of tax due under section 4 of the said act upto the limit as specified in the schedule given in the aforesaid notification dated 11 March, 2023 on the condition of getting the said vehicle scrapped in a Registered Vehicle Scrapping Facility Centre established under the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 and 100% exemption in penalty payable under section 9 of the said Act, on all types of non-transport and transport vehicles, to be scrapped at the Registered Vehicle Scrapping Facility Centre established under the Motor Vehicles (Registration

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 issued by the Central Government:

Provided that exemption of the penalty on the vehicles as said in the schedule of the aforesaid notification dated 11 March, 2023 shall be admissible on the entire due tax.

(2) The exemption as said in the schedule of the aforesaid notification dated 11 March, 2023 shall be available to the vehicle owner only on depositing the remaining amount in lump sum payable after the exemption.

(3) The exemption as said in the schedule of the aforesaid notification 11 March, 2023 shall be effective for a period of six months from 11 March, 2024 i.e. till 10 September, 2024.

2- Thus, the aforesaid notification dated 11 June, 2024 is, hereby, revised upto the limit as said above.

L. Venkateshwar lu
Principal Secretary

No.13/2024/851/XXX-4-2024-30-4099(099)/229/2022 dated as above.

Copy forwarded to following for information a necessary action:-

1. Transport Commissioner, Uttar Pradesh, Lucknow.
2. Managing Director, UPSRTC, Luckow.
3. All RTO/ARTO, Uttar Pradesh (Through Transport Commissioner).
4. All Commissioners, Uttar Pradesh (Through Transport Commissioner).
5. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, Transport Bhawan, 1- Parliament Street, New Delhi.
6. Chairman, State Transport Appellate Tribunal, Uttar Pradesh.
7. Guard File.

By Order,

K.P.Singh
Special Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।